संख्या- 1/2015/ एफ0सी0-88 /दस-2015-06/2015

प्रेषक,

प्रमुख सचिव,
वित्त विभाग,
उत्तर प्रदेश शासन ।

सेवा में,

1- प्रमुख सचिव, पंचायती राज विभाग,
उत्तर प्रदेश शासन ।
2- सचिव, नगर विकास विभाग,
उत्तर प्रदेश शासन ।

वित्त संसाधन (वित्त आयोग) अनुभाग लखनऊ: दिनांक: 31 मार्च, 2015

विषय:- चतुर्थ राज्य वित्त आयोग (पंचायती राज एवं स्थानीय निकाय), उत्तर प्रदेश की संस्तुतियों को लागू किया जाना ।

महोदय,

संविधान के 73वें एवं 74वें संशोधनों के अनुच्छेद 243(आई) तथा 243(वाई) में इंगित व्यवस्था के अनुसार प्रदेश में गठित किये गये चतुर्थ राज्य वित्त आयोग (पंचायती राज एवं स्थानीय निकाय), उ0प्र0 की रिपोर्ट राज्य सरकार के कार्यवाही-ज्ञापन (ए0टी0आर0) सहित सदन के पटल पर रखी जा चुकी है । अत: चतुर्थ राज्य वित्त आयोग उ0 प्र0 की संस्तुतियां राज्य सरकार के कार्यवाही-ज्ञापन (ए0टी0आर0) के अनुसार 01 अप्रैल, 2015 से प्रारम्भ होने वाले वित्तीय वर्ष से लागू की जायेंगी ।

2- यह आदेश अगले आयोग की संस्तुतियां स्वीकार होने तक प्रभावी रहेगा ।

भवदीय,

राहुल भटनागर
प्रमुख सचिव, वित्त ।

संख्या-1/2015 /एफ0सी0- 88(1) /दस-2015-06/2015 तददिनांक

प्रतिलिपि, निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- निदेशक, पंचायती राज निदेशालय, जवाहर भवन, लखनऊ ।
2- निदेशक, स्थानीय निकाय निदेशालय, इन्दिरा भवन, लखनऊ ।
3- मुख्य सम्प्रेक्षाधिकारी(सहकारी समिति एवं पंचायतें) उत्तर प्रदेश।
4- निदेशक, स्थानीय निधि लेखा परीक्षा, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद ।
5- निदेशक, पंचायती राज (लेखा) निदेशालय, इन्दिरा भवन, लखनऊ ।
6- वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1/2 ।
7- वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-2/8 ।
8- वित्त (लेखा परीक्षा) अनुभाग ।
9- वित्त संसाधन (सामान्य) अनुभाग ।

आज्ञा से,

(मुकेश मित्तल)
सचिव, वित्त ।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in